

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

- 1- श्री नानाजी देशमुख, समाजसेवी एवं पूर्व सांसद, लोकसभा तथा राज्यसभा ।
- 2- प्रतापगढ़ (उ.प्र.) के कुंडा स्थित मनगढ़ आश्रम में हुई भगदड़ के मृतक ।
- 3- राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मोरेल नदी में गिरी बस के मृतक ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

- 1- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री वित्त एवं कार्मिक विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(अ) वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)वित्त/कर/2010-101 दिनांक 10.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)वित्त/कर/2010-102 दिनांक 10.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

(ब) कार्मिक विभाग

अधिसूचना संख्या: एफ.7(8)डीओपी/ए-2/2008 दिनांक 8.2.2010 जिसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या : 12810/2009 में दिये गये निर्णय की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है ।

सम्पदा विभाग

2- श्री भरोसीलाल, सम्पदा राज्यमंत्री सम्पदा विभाग की अधिसूचना संख्या : प.9(9)सम्पदा/2009 दिनांक 23.2.2010 जिसके द्वारा नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम, 1971 के अन्तर्गत नजूल सम्पत्तियों का सशर्त निस्तारण किया जाएगा, सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

1- श्रीमती जकिया, सभापति राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का नवां प्रतिवेदन ;

2. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-1997 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006 के 27वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का दसवां प्रतिवेदन ;

3. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1999-2000 से संबंधित बारहवीं विधान सभा के 29वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;

4. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 2001-2002 से संबंधित बारहवीं विधान सभा के 57वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का बारहवां प्रतिवेदन ;

5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1998-1999 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 69वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का तेरहवां प्रतिवेदन ;

6. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन)(वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 70वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का चौदहवां प्रतिवेदन ;

7. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;
 8. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 78वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का सोलहवां प्रतिवेदन ;
 9. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 79वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का सत्रहवां प्रतिवेदन ;
 10. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999 से संबंधित बारहवीं विधान सभा के 80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का अठारहवां प्रतिवेदन ; एवं
 11. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का उन्नीसवां प्रतिवेदन ।
- 2- श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2009-2010 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, देवस्थान, पशुपालन, उपनिवेशन, भ्रष्टाचार निरोधक, उच्च शिक्षा, युवा एवं खेल, सामान्य प्रशासन, वक्फ, विधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खनिज, गृह, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं शिक्षा विभाग के वर्ष 2000 से 2005 तक के लम्बित आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास
2.	32- नागरिक आपूर्ति
3.	22- क्षेत्र का विकास

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 मार्च, 2010